न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 114/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
अन्नाराम पुत्र घीसराम, जाति सीरवी, निवासी दुदौड, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली(राज)		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी मारवाड जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11.04.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 252/2016 में तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.2016 तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 01/2017 में पारित निर्णय दिनांक 21.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार मारवाड जंक्शन ने अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर मौजा दुदौड के खसरा नंबर 132 रकबा 1.1253 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नाला की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया तथा दिनांक 24.10.2016 को तारीख पेशी नियत की गई। इसके पश्चात दिनांक 24.10.2016 को आदेश पारित करते हुए धारा 91 (2) के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट पर बेदखली, जुर्माना आरोपित किया तथा साथ ही तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत किसी प्रकार की जांच नही की गई कि अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में परिलक्षित होता है अथवा नही ? तथा न ही इस प्रकार के कोई साक्ष्य सबूत ही पत्रावली पर उपलब्ध थे। इस संबध में हल्का पटवारी के बयान लिये गये किन्तु अपीलांट को जिरह करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास का दण्ड दिया गया है, जो विधि विरूद्ध है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैरे अपील प्रकरण में अपनाई गई प्रक्रिया की कोई समीक्षा नही की

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा। अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा तथ्य एवं विधिक प्रक्रिया के विपरित जाकर जैर अपील आदेश पारित किये है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि मौजा दुदौड के खसरा नंबर 132 रकबा 1.1253 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नाला की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा दुदौड के खसरा नंबर 132 रकबा 1.1253 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नाला की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का दुदौड द्वारा तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अन्नाराम पुत्र घीसाराम जाति सीरवी द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा किया है, इस पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 24.10.2016 की तारीख पेशी नियत की। उसके पश्चात दिनांक 24.10.2016 द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। तहसीलदार मारवाड जंक्शन की पत्रावली की आदेशिका पर अपीलांट अन्नाराम के स्वंय के हस्ताक्षर मौजूद है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को हस्तगत प्रकरण में होने वाली समस्त कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। किन्तु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष अपने कथनो के समर्थन में प्रकार से जवाब अथवा दस्तावेज आदि प्रस्तुत किये। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में वादस्थ भूमि कि किस्म गै0मु0 नाला है, जो कॉमन लैण्ड की श्रेणी में शुमार है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त उक्त किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। प्रकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही पाई जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 252/2016 में तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.2016 तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 01/2017 में पारित निर्णय दिनांक 21.04.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली